सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 274 राँची, बुधवार, 6 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 27 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

8 जनवरी, 2025

संचिका सं0- 05/म0स0/कि0न्या0बोर्ड-104/2024- 52--विभागीय नोटिस सं0-3109, दिनांक-13.12.2023 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत झारखण्ड किशोर न्याय (देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम-4 के प्रावधान के अनुरुप चयन समिति की अनुशंसा पर निम्न जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्यों के रिक्त पदों पर औपबंधिक रूप से निम्नवत् चयन किया जाता है:-

Sl.	District Name	Name of Candidate	Father's Name/Mother's Name	Present Address	Gender	DOB	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dhanbad	Ajay Kumar Sinha	Deonandan Prasad	Vill-Shitalpur, Sirsiya, Giridih Pin-815302	M	01.01.1977	Social Worker Member
2.	East Sinhbhum-I	Sudhir Kumar Prasad	Late Parshuram Tiwari	Vill-Garhwa, PO+PS- Garhwa Pin-822114	M	31.01.1982	Social Worker Member
3.	East Singhbhum -II	Kumar Mahesh	Late Bishnu Dev Yadav	H.No-227 Sharma Line Dimna Road Mango P.S.-Ulidih Mango, Jamsedpur 831012	M	12.12.1970	Social Worker Member
		Kalpana Sudhakar	Let Nandan Lal Ram	Near Dharamkata, Main Road Jamtara 815351	F	15.03.1983	Female Social Worker Member
4.	Ranchi-II	Diana	CM Prasad	Vill-Jamsedpur, PO-Tatanagar, 831002 PS-Parsudih Block-Golmuri Cum Jugsalai, East singhbhum	F	10.08.1983	Social Worker Member
		Tanusri Sri Sarkar	Arun Kumar Bajpayee	Anand Vihar Road No-3 Near Waxpol Factory, Behind Gumla, 835217	F	10.01.1982	Female Social Worker Member
5.	West Singhbhum	Tulica Roba Tirkey	Puna Roba Tirkey	Vill-H.No. 280 lane no 3 Kather toil, Ranchi, PO-Church Road, PS-Lower Bazar, 834001	F	19.09.1984	Female Social Worker Member

उपर्युक्त गठित किशोर न्याय बोर्ड को उनके नाम के सामने अंकित जिलों के मामलों की सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगें, जिसकी व्यवस्था निकट भविष्य में राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
3. प्रत्येक बोर्ड/न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) (सम्प्रति भारतीय न्याय संहिता) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।

4. प्रत्येक बोर्ड की कालावधि तीन वर्ष की होगी और सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड की कालावधि के साथ समाप्त हो जाएगी।
5. विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलो की जाँच तथा निष्पादन गठित बोर्ड द्वारा अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
6. प्रत्येक बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्यों को बोर्ड द्वारा आहूत बैठक में भाग लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित बैठक भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विक्रमा राम,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 274 - 50